रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 1999/ज्येष्ठ 13, 1921
No. 272] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 1999/JYAISTHA 13, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1999

सा. का. नि. 403(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि अधिकारी (सेवा की शर्त) नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्त) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये नियम तारीख 1 अप्रैल, 1998 से या विधि अधिकारी की नियुक्ति होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्त) नियम, 1987 में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7. प्रतिधारक की फीस और भत्ते-नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि अधिकारी को निम्नलिखित संदाय किया जाएगा—

(क) प्रतिधारण उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाए,

(i) भारत के महान्यायवादी के मामले में प्रति मास पच्चीस हजार रुपए,

(ii) भारत के महासालिसिटर के मामले में प्रति मास बीस हजार रुपए,

(iii) भारत के ऊपर महासालिसिटर के मामले में प्रति मास पंद्रह हजार रुपए, तथा

(ख) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाए, प्रति मास एक हजार रूपए का कार्यालय भत्ता।

(ग) भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोग/अधिकरण आदि के समक्ष मामलों में उपसंजात होने के लिए निम्नलिखित मापमानों पर फीस, अर्थात् :—

क्रम सं.	कार्य की मद का नाम	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों (जिसके अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय है) और कोई अन्य न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न) या किसी अधिकरण या जांच आयोग या माध्यस्थम के समक्ष मामलों में उपसंजाति और अन्य कार्य के लिए संदेय फीसों की दरें
1	2	3
(i)	वाद, रिट याचिकाएं, अपीलें और अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश	प्रतिदिन प्रति मामला 8,000 रु.

1	2	3
(ii)	विशेष इजाजत पिटीशनें और अन्य आवेदन	प्रतिदिन प्रति मामला 5,000 रु.
(iii)	अभिवचनों को तय करना (जिनके अन्तर्गत शपथपत्र हैं)	प्रति अभिवचन 2,500 रु.
(iv)	मामले का कथन तय करना	प्रति मामला 3,000 रु.
(v)	विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के कथनों में राय देने के लिए	प्रति मामला 5,000 रु.
(vi)	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जांच आयोगों/अधिकरण के समक्ष लिखित निवेदनों के लिए	5,000 रु.

स्पष्टीकरण :—(1) यदि सारतः एक जैसे विवादों के अन्तर्वलित करने वाले दो या दो से अधिक मामलों का समान अधिवचनों के साथ सुनवाई की जाती है तो विधि अधिकारी एक फीस का हकदार होगा जैसा कि एक मामले के लिए होता है।

(2) विधि अधिकारियों को किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण या जांच आयोग या माध्यस्थम के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दिनों के लिए जिसके अन्तर्गत मध्यवर्ती छुट्टियों से प्रस्थान और मुख्यालय वापस पहुंचने के दिन भी हैं, उपर्युक्त (1) के अधीन रहते हुए, प्रतिदिन प्रति मामला सात हजार रुपए फीस संदेय होगी, किन्तु प्रस्थान के दिन के लिए यदि वह न्यायालय के कार्य समय के पश्चात् जाता है या पहुंचने के दिन न्यायालय के कार्य समय से पूर्व मुख्यालय पहुंचता है, तो फीस का संदाय नहीं किया जाएगा।

(घ) भारत के महान्यायवादी को उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाए, प्रति मास तीन हजार रुपए सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(ङ) जहां विधि अधिकारी से अपने कर्तव्यों के क्रम में मुख्यालय से बाहर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है वहां उसे यात्रा पर और भोजन तथा आवास पर उपगत वास्तविक व्ययों का संदाय किया जाएगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) यदि किसी विधि अधिकारी से नियम 5 में निर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न कोई कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि जब वह मध्यस्थ का या दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् राय देने का कार्य करता है जिसमें एक पक्ष भारत सरकार है, तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जैसा सरकार अवधारित करें।

[सं. एफ-18(1)/98-न्याय.]

कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

पाद टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 1 जनवरी, 1987 को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 1987 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा. का. नि. सं. 379 (अ), दिनांक 14 अप्रैल, 1987 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1999

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with Article 76 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1998 or from the date of appointment of the Law Officer, whichever is later.

2. In the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987, for rule 7, the following rule shall be substituted namely :—

"7. Retainer, fee and allowances.—For the performance of the duties mentioned in Rule 5, a Law Officer shall be paid—

(a) a retainer, except during the period of his leave, (i) in the case of the Attorney General for India, of rupees twenty-five thousand per month;

(ii) in the case of the Solicitor-General for India, of rupees twenty thousand per month; and

(iii) in the case of Additional Solicitor General for India, of rupees fifteen thousand per month; and

(b) an office allowance of rupees one thousand per month, except during the period of his leave;

(c) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry/Tribunals etc., on the following scales, namely :—

Sl. No.	Nomenclature of the item of work	Rates of fees payable for appearance and other work in cases before the Supreme Court, High Courts (including Delhi High Court) and any Court (other than the Supreme Court or High Court) or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator
1	2	3
(i)	Suits, writ petitions, appeals and references under article 143	Rs. 8000/- per case per day.
(ii)	Special leave petitions and other applications	Rs. 5000/- per case per day.
(iii)	Settling pleadings (including affidavits)	Rs. 2500/- per pleading
(iv)	Settling Statement of Case	Rs. 3000/- per case.
(v)	For giving opinions in statements of cases sent by the Ministry of Law	Rs. 5000/- per case.
(vi)	For written submission before the Supreme Court, High Court, and Commissions of Inquiry/Tribunals	Rs. 5000/-

Explanation : (1) If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law Officer shall be entitled to only one fee as for a single case.

(1) A daily fee of rupees seven thousand per case, subject to (i) above, shall be payable to Law Officers for the days of his absence from the headquarters in connection with appearance in any High Court, or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator, including the days of departure from intervening holidays and arrival back at the headquarters, but no fee shall be paid for the day of departure if he leaves the headquarters after court hours or for the day of arrival, if he arrives at the headquarters before Court hours.

(d) The Attorney-General for India shall be paid sumptuary allowance of rupees three thousand per month, except during the period of his leave.

(e) Where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarters in the course of his duties, he shall be paid or reimbursed the actual expenses incurred on travelling and on boarding and lodging.

(f) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as, acting as Arbitrator or giving opinion after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Government."

[No. F. 18(1)/98-Judl.]

KRISHNA KUMAR, Jt Secy. & Legal Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.